

8- बोर्ड / परिषदों / समितियों एवं अन्य निकायों के विवरण :-

अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत निराश्रित एवं अनाथ बच्चों हेतु संचालित संस्थाओं को मान्यता देने हेतु प्रदेश में उ०प्र० राज्य नियंत्रण बोर्ड स्थापित है, जिसमें एक अध्यक्ष के साथ 15 सदस्यों का प्राविधान है। वर्तमान में एक अध्यक्ष, 05 स्वयं सेवी संगठन के सदस्य कार्यरत हैं।

वर्ष 1954 में उ०प्र० राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी थी। वर्तमान में 36 गैर सरकारी सदस्य नामित हैं, जिनके परामर्श से बोर्ड द्वारा निराश्रित, गरीब महिलाओं के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।